आचार्य श्री विद्यासागर के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर

स्वदेश संवाददाता, नवापारा-राजिम

आज प्रातः जैसे ही आचार्य श्री विद्यासागर जी के निधन का समाचार मिला वैसे ही पूरे नगर में सन्नाटा छा गया तथा शोक की लहर फैल गई तत्काल लोग अपने घरों से निकल कर अपने घर वालों को लेकर डोंगरगढ़ की ओर रवाना हुए क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी पूरे देश में तपस्या के धनी थे तथा उन्होंने 9 वर्ष की उम्र से ही जैन धर्म के प्रवचनों को सुनकर प्रवचन को सुनकर वे लगातार उसे पद पर आगे बढ़ते गए और उन्हें लगातार सफलता मिलती गई जिसके चलते पूरे देश में उनका एक अलग ही प्रभाव था जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता हुआ प्रभावित होकर उनका ही हो जाता जिसके कारण आचार्य श्री ने अनेकों तीर्थ का निर्माण कराया। और उनकी तप तपस्या और त्याग से पूरा राष्ट्र प्रभावित था अभी कुछ दिनों से आचार्य श्री विद्यासागर का स्वास्थ्य नरम-गरम हो रहा था जिसके चलते उनके शिष्य और मुनीगढ़ तथा साधुओं द्वारा अनेकों प्रकार के प्रतिष्ठान में पूजा अर्चना कर रहे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी ने आचार्य श्री ने उन्हें एक दिशा दी जिसके तहत देश के सभी मुख्य मंत्री प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों ने उनका सहारा जिसके तहत आज पूरे देश में विद्यालय एवं खोले जा रहे हैं इसी कार्यक्रम में आचार्य श्री सैकड़ो लोगों को मुनि दीक्षा दी तथा महिलाओं को भी उन्होंने दीक्षा प्रदान की आज उनके भक्तों की हजारों की संख्या में इस देश में और विदेश में फैली हुई है आचार्य श्री ने लगातार जैन धर्म के उपदेशों को देश में फैलाया इसके साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कई विद्यालय खोले जिसमे जबलपुर में पूर्णायु के नाम से देश में प्रसिद्ध है इसी प्रकार प्रतिभास्थली के रूप में छोटे-छोटे बच्चियों को वहां पर शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती है तथा जैन धर्म के उपदेशों को जानकारी दी जाती है जिससे आज के इस युवाओं को अब तक अपने लिए कोई भी राह दिखाई नहीं दे रही थी डोंगरगढ़ भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए भारतवर्ष का पैदल भ्रमण करते हुए करते हुए डोंगरगढ में इस वर्ष चौमासा किया था चौमासा के दौरान आचार्य श्री का स्वास्थ्य बिगड़ गया था उसके बाद भी वे तिल्दा नेवरा गए और वहां पर मंदिर की प्रतिष्ठा कराई इसके उपरांत वे वापस डोंगरगढ़ आ गए जहां वे अध्ययन और तपस्या कर रहे थे वह 65 वर्षों से तेल शक्कर नमक का त्याग कर दिया था इसके बाद भी आचार्य श्री अनेकों प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया और अनेकों पुस्तक प्रकाशित की गई है जैन धर्म के प्रचार में लगातार वृद्धि हो रही थी देश-विदेश से भी लोग उनके शिष्य बन रहे थे आज प्रातः 2.35 बजे जानकारी मिली कि आचार्य श्री ने अपने शरीर त्याग दिया है जिसके चलते नगर से सैकड़ों की संख्या में लोग डोंगरगढ़ पहुंच गए और इधर नयापारा नगर में दिगंबर जैन समाज एवं अनेक लोगों ने अपने व्यवसाय बंद रखे दिगंबर जैन समाज एवं श्वेताम्बर समाज के सभी लोगों ने उनके इस निधन पर काफी गहरा दुख प्रकट करते हुए अपने-अपने व्यवसाय बंद रखें नयापारा राजिम में सभी जैन ने अपना व्यवसाय बंद रखकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी

संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

विद्यासागर महाराज का ब्रम्हलीन होना, समूचे विश्व के लिए बड़ी क्षति : साहू

नवापारा-राजिम। जैन समाज के राष्ट्र संत विश्व वंदनीय आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज रविवार रात ब्रम्हलीन हो गए। उनके ब्रम्हलीन होने पर शोक जताते हुए पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि वर्तमान महावीर कहे जाने वाले विद्यासागर जी महाराज का ब्रम्हलीन होना, समूचे विश्व के लिए बड़ी क्षति है। वे जीवनपर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। हथकरघा और गौ सेवा के लिए उनके द्वारा चलाया गया अभियान भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाला था। उनका जीवन त्याग और प्रेम का उदाहरण है। श्री साहू ने आगे कहा कि आचार्य श्री जीते-जागते परमात्मा थे। उनका भौतिक शरीर भले ही हमारे बीच ना रहे लेकिन उनके द्वारा मानव कल्याण हेतु विश्व में दिए गए संदेशों के रूप में उनकी दिव्य उपस्थिति सदैव हमारे आसपास रहेगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य श्री की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।

फिंगेश्वर में विकसीत भारत संकल्प शिविर

फिंगेश्वरः- आज सोमवार 19 फरवरी को नगर पंचायत फिंगेश्वर के विकसीत भारत संकल्प शिविर के द्वितीय चरण का आयोजन रखा गया है। नगर पंचायत फिंगेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि छ.ग. शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा संचालित अनेक तरह की जनहितकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा हितग्राहियों के मध्य जागरूकता विकसीत करने के उद्देश्य से विकसीत भारत संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण कार्यक्रम आज शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल फिंगेश्वर में दोपहर 01 बजे से रखा गया है। श्री मिश्रा ने नागरिकों से शिविर में भाग लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानने एवं अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। शिविर में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना आदि के आवेदन भी लिए जाएंगे।

फील्ड में उतरकर कलेक्टर ने परखा आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना का कार्य

स्वदेश/जांजगीर-चांपा। कलेक्टर आकाश छिकारा ने बुधवार को नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पेंड्री, खोखरा में लगाये आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत ई-केवायसी, राशन कार्ड नवीनीकरण शिविर, का मौके पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन आवेदन को मौके पर ही भरवाया और अब तक भरे गये आवेदनों की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पेंड्री में पीडीएस दुकान में पहुंचकर राशन कार्ड नवीनीकरण की जानकारी ली।

तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर सवार को मारी टक्कर, पुरूष और बच्ची सुरक्षित

सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत

स्वदेश संवाददाता, कसडोल।

शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट पर आने से मोटरसाइकिल में सवार 2 महिलाओं की दुर्घटना में मौत हो गई है। इधर पुलिस ने प्रार्थी सीताराम कैवर्त की रिपोर्ट पर ट्रक क्र. CG 04 PM 5802 के चालक के विरूध्द धारा 279, 337, 304-A भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मल्दा निवासी सीताराम शनिवार की सुबह अपने मो.सा. से अपनी पत्नि दुजबाई, लडकी गंगा, एवं परिवार के कांतिबाई को बिठाकर कसडोल स्टेट बैंक आया था बैंक का काम निपटाकर कसडोल बाजार में सामान खरीदकर हडहा चौक तरफ से चारो मो.सा. में घर जा रहे थे कि हडहा चौक से आगे शेखर इंजिनियरिंग के पास पहुंचे थे कि पिछे कसडोल तरफ से आ रही ट्रक क्र. CG 04 PM 5802 का चालक अपने ट्रक को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाकर पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिये जिससे मोटरसाइकिल से सभी गिर गये जिससे प्रार्थी को दाहिने हाथ, दाहिने पैर, कमर पीठ में, मेरी लडकी कु. गंगा उम्र 03 वर्ष के सिर एवं पैर में दुजबाई एवं शांतिबाई के सिर में गंभीर चोट आया था तब ईलाज हेतु एम्बुलेंस से शासकीय अस्पताल कसडोल लेकर आया जहां डॉक्टर ने दुजबाई कैंवट एवं कांतिबाई कैंवट को चेककर मृत होना बताया। इधर दुर्घटना के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 130बी पर दुर्घटना से सड़क लहू से लाल हो गया है।

अंचल के रेत खदानों में अवैध उत्खनन

स्वदेश संवाददाता, फिंगेश्वर

जिला प्रशासन की लगातार की जा रही कार्यवाही के बाद भी रेत माफिया अवैध खनन से बाज नहीं आ रहा है। लगता है रेत माफिया मनमानी कमाई के चलते जिला प्रशासन की कार्यवाही को नजर अंदाज कर अंचल की रेत खदानों से मनमाना खनन कर एक प्रकार से प्रशासन के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे है। प्राप्त जानकारी अनुसार इन दिनों लचकेरा, रावड़, सिंधौरी, चैबेबांधा एवं हथखोज में मनमाने ढंग से बड़ी बड़ी चैन माऊंटिंग मशीन लगाकर उत्खनन एवं परिवहन व्यापक पैमाने में किया जा रहा है। लगता है इन खदानों में अवैध उत्खनन कर रहे रेत माफिया को कार्यवाही का कोई डर ही नहीं है। फिंगेश्वर विकासखंड के हथखोज में तो तीन तीन ग्रुप द्वारा 5-7 चैन माऊंटिंग उतारकर सैकड़ो हाईवा रेत का दिन-रात 24 घंटे मनमाने ढंग से बिना किसी वैध दस्तावेजों के खनन एवं परिवहन कर प्रतिदिन लाखों की काली एवं अवैध कमाई की जा रही है। उनकी डंके की चोट किए जा रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन में विभागीय अधिकारी, जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के संरक्षण से इंकार नहीं किया जा सकता। लचकेरा, चैबेबांधा, सिंधौरी, रावड़ में भी नदी के बीच में चैन माऊंटिंग लगाकर मनमाने ढंग से खनन एवं परिवहन दिन-रात चल रहा है। हथखोज खदान में लीज प्राप्त ठेकेदार के अलावा 2 ठेकेदार अवैध तरीके से मनमाना उत्खनन कर मालामाल बन रहे है। बताया जाता है कि ग्राम हथखोज के ग्रामीणों के साथ सेटिंग कर रेत माफिया शासन को चूना लगाने का काम कर रहे है। यहां नदी में एक तरफ 4 चैन माऊंटिंग और दूसरी तरफ 2 चैन माऊंटिंग जैसी बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर धड़ल्ले से बेहिसाब खनन कर रेत का मनमाने ढंग से परिवहन किया जा रहा है। जबकि जिला प्रशासन की यदा-कदा कार्यवाही जारी है। फिंगेश्वर विकासखंड में अनेक स्थानों पर रेत का उत्खनन किया जाना जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग के लिए चैलेंज है। क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन पर कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए गए है। अवैध उत्खनन पर कार्यवाही न होते देख आसपास अन्य रेत खदानों पर भी रेत माफिया की गिद्द की नजर लगी हुई है। प्रशासन ने अवैध उत्खनन पर सख्त कार्यवाही की मांग ग्रामीणों ने की है।

विद्यासागर महाराज के अंतिम दर्शन में शामिल होने वालों की सड़क हादसे में 3 की मौत

राजनांदगांव। विद्यासागर महाराज के अंतिम दर्शन के लिए सतना से आ रहे 3 लोगे भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, ये हादसा सालेकसा महाराष्ट्र के पास हुआ है। पानगांव मुंडीपार के बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा घुसी. घटना में आशीष जैन, जितेंद्र जैन और एक अन्य की मौत होने की जानकारी है। बता दें कि आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज माघ शुक्ल अष्टमी (17 फरवरी) को पर्वराज के अंतर्गत उत्तम सत्य धर्म के दिन ब्रह्मलीन हो गए. शनिवार रात 2:35 बजे उनकी समाधि हुई. आचार्यश्री ने विधिवत सल्लेखना बुद्धिपूर्वक धारण करली थी. पूर्ण जागृतावस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन के उपवास गृहण करते हुए आहार और संघ का प्रत्याख्यान कर दिया था. वहीं प्रत्याख्यान और प्रायश्चित देना बंद कर दिया था. साथ ही उन्होंने अखंड मौन धारण कर लिया था।

अभाविप कसडोल का हुआ कार्यकारणी गठन

कसडोल। छात्र हित के लिए तत्पर विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कसडोल इकाई की नवीन कार्यकारणी का गठन किया गया। जिसमे मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित बलौदाबाजार के विभाग संयोजक नीलकंठ साहू ने कहाँ की विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के समस्या के समाधान के साथ साथ समाज और राष्ट्रहित के लिए कार्य करता है। निर्वाचन अधिकारी के रूप मे उपस्थित जिला संयोजक उदित भारद्वाज ने सत्र 23-24 के लिए कसडोल इकाई का कार्यकारिणी गठन किया गया। कार्यक्रम मे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य निशा जायसवाल की विशेष उपस्थिति रही। इस सत्र के लिए नगर मंत्री के रूप मे प्रीतम जायसवाल, महाविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक नवरंग, महाविद्यालय मंत्री फुलेश्वरी बंजारे नगर सहमंत्री मलय साहू, फाल्गुनी सोनी, कार्यालय मंत्री मोहन जायसवाल, कार्यालय सहमंत्री विजय जायसवाल, असफ़स प्रमुख तनिषा पैकरा सहप्रमुख सुनील कैवर्त्य, मनीषा कैवर्त्य सहप्रमुख मिनाक्षी, दीपिका विद्यालय प्रमुख याचना पटेल, राष्ट्रीय कला मंच बिंदू पैकरा, सह प्रमुख हरीश पटेल क्रीड़ा प्रमुख युवराज साहू, सह प्रमुख सृष्टि सोनी, जयंती, कार्यकारिणी सदस्य हर्षा साहू, अल्का पैकरा, पदमा, पूजा साहू, अभिषेक जायसवाल मौजूद रहे।

मोहतरा स्कूल में मनाया गया बसंत पंचमी

कसडोल। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहतरा (क) एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहतरा (क) में बीते बुधवार को मातृ पितृ पूजन एवं सरस्वती पूजन , पुलवामा शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती की विधिवत पूजन ,आए हुए माता-पिता का पूजन एवं पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान बच्चों ने मातृ पितृ के लिए सेवा समर्पण, प्रेम की भाव एवं भगवान स्वरूप की साक्षात प्रदर्शन करते हुए रंगा-रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

जिसका सफल संचालन विद्यालय के सांस्कृतिक प्रभारी श्रीमती कुसुम कुमारी जायसवाल (व्याख्याता) ने की। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य डाक्टर गोपी राम जाटव, शिक्षकगढण ,पलकगण ,दांपत्य हरवंश पांडे श्रीमती सरोज पांडे सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थी।

सेवाकालीन कर्मभूमि मिलन व विदाई सम्मान समारोह को लेकर ग्रामीणों में उत्साह

स्वदेश संवाददाता, फिंगेश्वर

जिस स्कूल में एक शिक्षक के रूप में शिक्षकीय सेवा की शुरुआत करने के पश्चात लगातार 28 वर्षों तक शिक्षकीय सेवा देने के पश्चात यदि उसी स्कूल से विदाई सम्मान पाना अपने आप में एक भावनात्मक पल होता हैं ऐसे ही आयोजन सेवाकालीन कर्मभूमि मिलन एवं विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम पूरे विद्यालय एवं ग्रामवासियों के सहयोग से एक ऐतिहासिक आयोजन शासकीय प्राथमिक विद्यालय तरसूंगा में आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी.एफ.खान सेवानिनृत्व प्रधानपाठक अध्यक्षता रामाधीन ध्रुव जनपद सदस्य, विशिष्ट अतिथि आनंद राम साहू सरपंच गुण्डरदेही ,सियाराम ध्रुव सरपंच खैरझिटी कृषलाल साहू पूर्व सरपंच गुण्डरदेही, कुमान सिंह धुरव संकुल प्राचार्य गुण्डरदेही, छगन सिंह दीवान संकुल समन्वयक गुण्डरदेही, रामचरण दीवान प्रधानपाठक गुण्डरदेही, लालकृष्ण पटेल, खेमसिंह धुरव प्रधानपाठक बनगवा थे कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए गुलाम फारूक खान सेवानिवृत्त प्रधानपाठक ने कहा आज मैं अपने आप को बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जिस विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में सेवा प्रारंभ किया उसी विद्यालय से विदाई पाना इस विद्यालय में 18 अगस्त 1981 से 11 सितंबर 2008 तक कुल 28 वर्षों तक एक ही जगह पर रहकर शिक्षकीय कार्य में सेवा दिया उसके बाद प्रधानपाठक के पद पर प्राथमिक विद्यालय खैरझिटी चला गया एक शिक्षक को बच्चों के बीच रहकर एक बच्चे की तरह रहना पड़ता है शिक्षा की बुनियाद प्राथमिक विद्यालय होता हैं जहां हाथ पकड़कर अ आ इ ई लिखाते हूए सिखाना पड़ता है बच्चों के बीच एक कुम्भकार की भांति गिली मिट्टी की भांति बच्चों को गढ़ना पड़ता है एक शिक्षक को अपने पद के गरिमा को ध्यान में रखकर सेवा देनी चाहिए। शिक्षक अपने पूरे जीवन पर्यन्त कभी सेवा निवृत्त नही होता सेवा के शुरुआती दिनों में शिक्षकीय जीवन विशेष कर बरसात के दिनों में काफी कष्टकारी हुआ करता था छोटे बड़े नालों पथरीली रास्ते से गुजर कर विद्यालय आना-जाना पड़ता था। पूरे शिक्षकीय जीवन में गांव वालों का भरपूर सहयोग मिला।

परसदा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई

स्वदेश संवाददाता, नवापारा-राजिम

समीपस्थ ग्राम परसदा में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में पांच कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ भव्य दीप महायज्ञ एवं संगीतमय प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन 18 एवं 19 फरवरी को भाटापारा बाजार चौक परसदा में किया गया है. इस अवसर पर प्रथम दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ माँ गायत्री के पूजा अर्चना के साथ किया गया. तत्पश्चात भव्य मंगल जल कलश यात्रा निकाली गई जिसे गाँव के महिलाओ एवं बालिकाओं द्वारा सिर पर कलश धारण कर गाँव भ्रमण करते हुए बड़े तालाब से जल भरकर वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचे. इस अवसर पर प्रमुख रूप से यशवंत वर्मा,ठाकुर राम साहू,पूरन लाल साहू,रामखिलावन साहू,नेमीचंद साहू,गैंदलाल वर्मा, चिंताराम साहू,भोलाराम वर्मा,सूखेन साहू,धनऊ ध्रुवंशी,प्रीत राम साहू, टीका राम साहू,डेरहा राम साहू,प्रवीण कुमार वर्मा, दुलार साहू, दुष्यंत वर्मा,उमेश्वरी साहू, सीमा वर्मा ,डिगेश्वरी वर्मा,मीना साहू,मौसमीमाला साहू,बिसवंतीन साहू, दुलेश्वरी ध्रुवंशी,ममता वर्मा, खुशबू साहू गायत्री मंडल, प्रज्ञा मंडल एवं युवा मंडल के सदस्य उपस्थित थे.*

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK पंजीकृत व निगमित कार्यालय : यस बैंक हाऊस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सांताक्रूज ईस्ट, मुम्बई-400055. CIN: L65190MH2003PLC143249,

अचल संपत्ति हेतु आधिपत्य सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां ''एक्ट'' के रुप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यस बैंक लिमिटेड (यहां ''बैंक'' के रुप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना में वर्णित दिनांक **13.11.2023** तक की बकाया राशि **रू. 8,72,127.23/- (रूपये आठ लाख बहोत्तर हजार एक सौ सत्ताईस एवं तेईस पैसे मात्र) खाता क्रं. AFH004700707438** के अंतर्गत, का भुगतान करने के लिए **1. श्री तरुण कुमार देवांगन 2. श्री टोकेश्वर देवांगन, 3. श्रीमती पुष्पा देवी एवं 4. श्री रामकुमार देवांगन, सभी निवासी-** 2क्यू, गली-11, सेक्टर-6, सिविक सेंटर, भिलाई, दुर्ग, छ.ग.-490006 एवं **अन्य पता-** मकान नं. एच 2/12, धेबर सिटी, भाटागांव, सुंदर नगर, लेंडमार्क लोट्स टॉवर, रायपुर- 492013 को बुलाने के लिए दिनांक **13.11.2023** को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी/ सुरक्षा प्रदाता निर्धारित समयावधि के भीतर राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी/ सुरक्षा प्रदाता और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्तियों पर **16.02.2024** को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/सुरक्षा प्रदाता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्तियों के साथ किया गया कोई भी व्यवहार दिनांक **13.11.2023** तक की बकाया राशि **रू. 8,72,127.23/- (रूपये आठ लाख बहोत्तर हजार एक सौ सत्ताईस एवं तेईस पैसे मात्र) खाता क्रं. AFH004700707438** के अंतर्गत, साथ ही लागत, शुल्क, व्यय एवं ब्याज सहित अन्य बकाया के लिए बैंक के प्रभार का विषय होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, यदि हमारी बकाया राशि, लागत और हस्तांतरण के लिए तय की गई तारीख से पहले किसी भी समय हमारे द्वारा किए गए सभी खर्चों, शुल्कों और व्यय के साथ मिलती है, सुरक्षित संपत्ति हमारे द्वारा बेची या स्थानांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

गिरवी रखी गई संपत्ति की प्रतिभूति/प्रतिभूति हित का विवरण

आवासीय फ्लेट का समस्त भाग, एलआईजी प्लाट नं. 662, एलआईजी ब्लॉक नं. 42, पहली मंजिल, जिसका क्षेत्रफल 482 वर्गफीट, जो खसरा नं. 1494/1, 1616, 1617 के हिस्से में शामिल, प.ह.न. 117, ग्राम बोरियाकला, दिनदयाल आवास योजना के अंतर्गत, तहसील एवं जिला रायपुर, **चर्तुसीमाएँ:-** उत्तर: प्लाट नं. 648, दक्षिण: प्लाट नं. 664, पूर्व: प्लाट नं. 661, पश्चिम: खुला क्षेत्र

स्थान : बोरियाकॅला, रायपुर (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक : 16-02-2024 यस बैंक लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA रजि. कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 3 के साथ पढ़ें।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी है और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत डिमांड नोटिस पहले ही जारी कर चुका है।) अधिनियम में, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी अकेले या एक साथ यहां 'सूचीबद्ध बाध्यकारी' कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान करने के लिए कहते हैं) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस/नोटिस में उल्लिखित राशि। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा भेजी जाती हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, और कहा गया है कि बाध्यकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहे, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, नोटिस इस प्रकार है एक बार फिर, उक्त दायित्वधारी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) को संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर टीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए, उनके संबंधित के सामने नीचे दर्शाई गई राशि दी गई है। नाम, कॉलम (डी) में नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक के विवरण के साथ आगे के ब्याज के साथ, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े, यदि कोई हो, उक्त दायित्वकर्ता द्वारा निष्पादित (एस)। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त बाध्यकर्ता द्वारा टीसीएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

अनुबंध नं.	दायित्वधारी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	कुल बकाया नीचे दी गई तारीख तक बकाया (रुपये)	मांग सूचना की दिनांक / एनपीए की दिनांक
9840076	सुमित कुमार (उधारकर्ता) और श्रीमती शीला मौरे (सह-उधारकर्ता) और श्री बलराम मौरे (सह-उधारकर्ता) श्री प्रदीप मौरे (सह-उधारकर्ता)	09-02-2024 तक की राशि रु. 2,60,564.48/- (दो लाख साठ हजार पांच सौ चौसठ रुपये एवं अडतालीस पैसे मात्र) ऋण खाता संख्या के अंतर्गत आपके द्वारा देय है। ऋण खाता संख्या 9840076	09-02-2024 / 07-02-24

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति का वह सभी टुकड़ा और पार्सल, बंधक संपत्ति ईडब्ल्यूएस सेक्शन-16/टी.एफ, ब्लॉक 72/302, नारायपुर छत्तीसगढ़, पिन-492001

*अतिरिक्त ब्याज के साथ, ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त बाध्यकर्ता उपरोक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति(यों) के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लागत और परिणाम के संबंध में उक्त बाध्यकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के जोखिम पर।

उक्त दायित्वधारी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा बिना पूर्व लिखित के हो। टीसीएचएफएल की सहमति, कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक : 19/02/2024 वास्ते प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : छत्तीसगढ़ टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : पुजारी चेम्बर्स, ब्लॉक 1, पचपेड़ी नाका के पास, टिकरापारा, एनएच-43, रायपुर, छ.ग.-492001

अचल संपत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6)
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

ऋण खाता क्रमांक : 21771537 - डॉ. सईद एहमद

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में और नई दिल्ली में अन्य स्थानों के बीच एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है, दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ता और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") हस्तांतरिती के रूप में, के बीच व्यवस्था की योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि, जैसा कि उक्त योजना में प्रभावी तिथि यानी 01.01.2024 से अधिक विशेष रूप से वर्णित है, के साथ एक चालू कंपनी के रूप में टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल वहां की शर्तों के अनुसार (उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं) से दावा करने का हकदार है।

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/बंधककर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार/टीसीएल पूर्व में टाटा कैपिटल फायनांशियल सर्विसेस लिमिटेड/टीसीएफएसएल से ज्ञात)** के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री **"जैसे है जहाँ है" तथा "जो है वही है" और "जो कुछ भी है वही है तथा उपचार रहित"** आधार पर **15 मार्च 2024** को की जायेगी।

जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूति ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबकि दिनांक **14.02.2022** को धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी कर मांग की है जिसमें **ऋण खाता क्रमांक 21771537 के अंतर्गत दिनांक 31.01.2022** तक कुल राशि **रु. 1,03,06,673/- (रुपये एक करोड़ तीन लाख छः हजार छः सौ तिहत्तर मात्र)** समस्त लागतो, ब्याज आदि सहित **कर्जदारों / सहकर्जदारों** अर्थात **(1) डॉ. सईद अहमद,** मकान नंबर डी/8, शैलेन्द्र नगर, मेमन नर्सिंग होम के पीछे, रायपुर 492001; **अन्य पता :** यसवंत हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, जी.ई. रोड, रायपुर 492001; **अन्य पता :** मकान नंबर डी3, मेमन नर्सिंग होम के पीछे, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001; **अन्य पता :** श्री गोविंद हॉस्पिटल, ओल्ड बसताल रोड, होटल ग्रैंड अर्जुन के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001; **(2) शाहीन शेख,** मकान नंबर डी/8, शैलेन्द्र नगर, मेमन नर्सिंग होम के पीछे, रायपुर 492001; **अन्य पता :** हाउस नंबर डी3, मेमन नर्सिंग होम के पीछे, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001; **अन्य पता :** मकान नंबर ए/3 (हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी) बोधघाट, पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़-494001; **(3) सईदा बानो,** मकान नंबर डी/8, शैलेन्द्र नगर, मेमन नर्सिंग होम के पीछे, रायपुर 492001 से बकाया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से टीसीएल द्वारा कथित **15 मार्च 2024 को 2:00 बजे अपरान्ह** इसके शाखा कार्यालय **पुजारी चेम्बर्स, ब्लॉक 1, पचपेड़ी नाका के पास टिकरापारा, एनएच 43, रायपुर 492001** द्वारा किया जायेगा। ईएमडी राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी कथित **14 मार्च 2024 को 5:00 बजे अपरान्ह** तक **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण	आधिपत्य का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि (रु.)
वह समस्त भूमि लगभग 1500 वर्ग फुट की है और साथ में लगभग 900 वर्ग फुट की दो मंजिला इमारत भी है। भूतल पर और प्रथम तल पर 900 वर्ग फुट, जो प्लॉट/ मकान/ नंबर डी-08, खसरा नं. 293/1, रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए शैलेन्द्र नगर, योजना क्रमांक 27, मौजा- शैलेन्द्र नगर, योजना क्रमांक 027, पी.सी. नंबर 114, आरआईसी रायपुर, लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड नंबर-47, आरएनएम-रायपुर, तह एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001 स्थित है। **चर्तुसीमा** - उत्तर में - 30 फीट सड़क, दक्षिण में- पंक्तियों में 40' X 60' भूमि, पूर्व में- प्लॉट नं. डी-09 (कॉर्नर), पश्चिम में- प्लॉट नं. डी-07.	भौतिक	Rs. 81,00,000/- (रूपये इक्यासी लाख मात्र)	Rs. 8,10,000/- (रूपये आठ लाख दस हजार मात्र)

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विवरण अनुसूची में है। विक्रय उस दशा में रोक दिया जाएगा जब प्राधिकृत अधिकारी के पास इस बात का सबूत पेश किया जाए या उन्हें इस बात से संतुष्ट किया जाए कि समस्त ब्याज एवं लागत (विक्रय की लागत सहित) सहित उक्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। विक्रय प्रकिया में सामान्य रूप से सर्वसामान्य व्यक्तियों को अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किसी हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नही कर सकेगा। यह बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित **15 मार्च, 2024 को 2.00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह** के बीच पोर्टल **https://@disposalhub.com** के माध्यम से की जायेगी सम्पत्ति के क्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि **रायपुर में देय" टाटा कैपिटल लिमिटेड"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण **01 मार्च, 2024** को **प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच किया जा सकता है।

टीसीएल को ज्ञात किसी भी बाधा का विवरण, जिसके लिए संपति उत्तरदायी है: स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी एनओसी की अनुपलब्धता और S.A/444/2023 डीआरटी, जबलपुर के समक्ष लंबित है।

नोट : इच्छुक संविदाकार प्राधिकृत प्राधिकारी **श्री अयान भट्टाचार्य,** ई-मेल आईडी **Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com** तथा मो. नं. **+919289724441** पर संपर्क कर सकते है।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **https://bit.ly/4bGNEpK** में प्रावधानित लिंक देखें या अधिकृत प्राधिकारी अथवा सेवा प्रदाता -नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें।

ह/-
स्थान : रायपुर (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक : 19.02.2024 टाटा कैपिटल लिमिटेड